

के.के. चौधरी

पी.सी.एस.
कुलसायेव



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई0इ0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

दूरभाष: 0522-2732193

फैक्स: 0522-2732185

पत्रांक: 3.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 004

दिनांक 15.05.2015

सेवा में,

DIRECTOR,
RAJA BALWANT SINGH ENGINEERING TECHNICAL CAMPUS, BICHPURI, AGRA

विषय:- शैक्षिक सत्र 2015-16 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/30प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्कृतियों के क्रम में शासनादेश के सद्या 1587/सोलह-1-2015-13(5)/2015 दिनांक 15.05.2015 को निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ।

S.No.	Branch Name	Ist Shift	2nd Shift
1	COMPUTER SC. & ENGG.	18	0
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	18	0
3	BIO-TECHNOLOGY	18	0
4	FOOD TECHNOLOGY	18	0
5	ARCHITECTURE TOWN PLANNING	60	0
6	BACHELOR OF PHARMACY	60	0
7	CIVIL ENGG.	60	0
8	COMPUTER SC. & ENGG.	90	0
9	ELECTRICAL ENGG.	60	0
10	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	90	0
11	MECHANICAL ENGG.	60	0
12	CHEMICAL ENGG.	60	0
13	BIO-TECHNOLOGY	60	0
14	FOOD TECHNOLOGY	60	0

स्ववित पोषित योजना के अन्वर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।


1. सस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्चाएं, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, ईंगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायीत्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
3. बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आक्टेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूरी न करने की दशा में एवं अभावशील, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायीत्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/30प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमत्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आवेदन के समय भी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी पकार की तुटी शासन/विश्वविद्यालय के संगान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. 30प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-६ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था से एक गाह के बन्दर रांथा में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की रूपी तथा चयन से संबंधित समस्त अभिभेद विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन दिन (कार्यवाही दिवस) के अन्दर भवर्य दियाना कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय: 6.15)
9. संस्था में कार्यरत शिक्षक/विद्यार्थी/प्राचार्यों की स्थिति से १५ दिन (कार्यवाही दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय: 6.18)
10. रीक्षिक एवं शिक्षणतेर स्टाफ का भारण नियमित रूप से किसी जायेगा अन्यथा की स्थिति विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25)
11. लैब एवं उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्थान के सूचना पर वेबसाइट पर प्रदर्शित होने द्वाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएँ संस्थान के रूपमा प्राप्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित होने घाहिए प्राप्ति वेबसाइट की सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.16)
13. संस्था के गाहों में जिस गणेशशुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पर पर अवश्य दिया जायेगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय के उपलब्धकराये जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाधत कार्यवाही की जाने वाले उपलब्धकराये।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. संस्था के गाही गयी कमीया का प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा औद्योगिक निरिक्षण कभी भी किया जाए सकता है।
16. संस्था के औद्योगिक सेव के अन्तर्गत विसी भी समय आकस्मिक निरिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाए सकता है भर उत्तर आकस्मिक निरिक्षण में निर्धारित सूचनाएँ तकनीकी इन्डिगेट सम्बद्धता समाप्त होने की कार्यवाही की जा सकता है।
17. जिन संस्थाओं की अनुमति एवं विश्वविद्यालय के मानकों के रामेन्द्र में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरिक्षण अथवा जाच की जाती है अथवा जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित-जातियाँ, अनु० जनजातियाँ और अन्य जिहावीजातियाँ आरक्षण) अधिनियम २००६/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से रोजगार सकारात्मक द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त विसी अन्यथा को शुल्क न लिया जाए अथवा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त होने की कार्यवाही की जायेगी।
19. संस्था द्वारा यह सूचित रखिया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो अन्यसमय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः यदि किसी प्रकार का शुल्क/उन्नेशन लेने की शिक्षायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को 'Black List' करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. AMS (Academic Monitoring System) संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा जारी आवेदन संख्या: 30प्र०/विवेद्यालय/उत्तर प्रदेश/शासन/2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की जायेगी।
21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक ग्रन्ति परीक्षा संबंधी कार्यवाही विवरण का प्रवेशक मन्त्रालयों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था को सम्बद्धता प्राप्त होना विवरण कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कठिपय कारणोंवाल यदि ऐसा सम्बन्ध न हो तो संस्था विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरिक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(क. क. चौधरी)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, महारू गुलामिहानी राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
 - 2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - 3- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
 - 4- निदेशक, समाज कल्याण, ३.प्र., लखनऊ।
 - 5- गाँड़ फाइल।


(क. क. चौधरी)
कुलसचिव